

5/1/2014 शुभित्त / शारदा



दिनांक

आज्ञा पत्र

12-2-19

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक मंच ने अपील
व्यवहारीक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व
आज्ञानुसार दिनांक 10-5-19 को पेश हो।

10-5-19

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/पेश उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... (पेशाना 8-20)
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 8-8-19
को पेश हो।

8-8-19

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/पेश उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... (पेशाना 8-20)
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 7-11-19
को पेश हो।

7-11-19

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक मंच ने अपील
व्यवहारीक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व
आज्ञानुसार दिनांक 9-1-20 को पेश हो।

9-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपील/पेश को हिदायत दी जाती है
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वारसे तलबी दिनांक
13-1-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि
स्थान है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

Ans

13-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपील/पेश को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील/पेश ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/पेश अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/पेश आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर मंच पर
से कम होकर बाद तस्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Ans

भू-सूचना अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
धीकर (कैम्प इन्डुस्ट्री)

